क्रम संख्या–54

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 08 मई, 2023 ई0

बैशाख 18, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 176/XXXVI (3)/2023/78(1)/2022

देहरादून, 08 मई, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2022'** पर दिनांक 03 मई, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह **उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 15, वर्ष– 2023** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2023)

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और इस निमित्त कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह दिनांक 01 अप्रैल, 1961 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा 2 किसी अधिकारी को पेंशन के हक के प्रयोजनार्थ किसी नियम, विनियम या शासनादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी 'अर्हकारी सेवा' से सरकार द्वारा विहित सेवा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी अस्थायी या स्थायी पद पर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उक्त पद के लिये की गई सेवा अभिप्रेत है।

विधिमान्यकरण 3 किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नियम 3 के उपनियम (8) एवं उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 के सम्बन्ध में या तद्धीन कृत या की गई तात्पर्यित कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गई समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव से विधिमान्यकृत समझी जायेंगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध दिनांक 01 अप्रैल, 1961 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

अध्यारोही प्रभाव 4. अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,
सचिव।

उद्देश्य और कारणों का ज्ञापन

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 के अधिनियमित होने के बावजूद भी विभिन्न कार्मिकों द्वारा दैनिक वेतन श्रमिक, तदर्थ, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन एवं अंशकालिक रूप में तैनात होने की तिथि से सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने हेतु मा0 न्यायालयों में वाद योजित किये जा रहे है, ऐसी स्थिति में राज्य के सीमित संसाधन के दृष्टिगत् पारदर्शी प्रक्रिया लाये जाने के उद्देश्य से एक कानून बनाया जाना आवश्यक है।

02. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

(प्रेम चन्द अग्रवाल)
मंत्री।